न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	रजिस्टेशन नं0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/118/2022	2022/157	11/04/2022	21.11.2022

1. Punjab National Bank, Zonal Sastra Centre Sector-17B, Chandigarh (U.T)

—प्रार्थी

बनाम

1. M/s Haryana Oils & Soya Ltd.) Regd. Office 8th KM Stone Narwana Road, Village Jhanj Kalan, Jind (126102) (Borrower)

   Also At: Plot No. 6 Block NO. 54, Third Floor, Desh Bandhu Gupta Road, Karol Bagh, New Delhi.

   Also At: 444/456, 1st Floor, Naya Nans, Khari Baoli, Delhi (110006)

1. Sh. Laxmi Chand Aggarwal S/o Sh. Kedar Nath (Director/Guarantor & Mortagagor), R/o Hous No. 255, H-Block Vikas Puri, Delhi (110018).
2. Sh. Rajesh Aggarwal S/o Sh. Laxmi Chand Aggarwal (Director/Guarantor & Mortagagor), R/o Hous No. 20, Road No-7, East Punjabi Bagh, Delhi (110026).
3. Sh. Sanjeev Aggarwal S/o Sh. Laxmi Chand Aggarwal (Director/Guarantor & Mortagagor), R/o Hous No. 255, H-Block Vikas Puri, Delhi (110018).
4. Smt. Savitri Devi W/o Sh. Laxmi Chand Aggarwal R/o Hous No. 255, H-Block Vikas Puri, Delhi (110018).
5. Sh. Kushagar Aggarwal S/o Sh. Sanjeev Aggarwal, R/o Hous No. 255, H-Block Vikas Puri, Delhi (110018).
6. Smt. Vimla Aggarwal W/o Sh. Sanjeev Aggarwal (Guarantor), R/o Hous No. 255, H-Block Vikas Puri, Delhi (110018).
7. Smt. Neetu Aggarwal W/o Sh. Rajesh Aggarwal (Guarantor), R/o Hous No. 20, Road No-7, East Punjabi Bagh, Delhi (110026).
8. M/s Laxmi Chand Aggarwal & Sons (HUF) (Mortagagor) Through Its Karta Sh. Laxmi Chand Aggarwal S/o Sh. Kedar Nath, R/o Hous No. 255, H-Block Vikas Puri, Delhi (110018).

—अप्रार्थीगण/ऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

—:: निर्णय ::—

प्राधिकृत अधिकारी की ओर से यह प्रार्थना अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसके द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी को 99,00,00,000/—रूपये (Rupees Ninety Nine Crores Rupees Only) को उपलब्ध कराई थी, जो Total Outstanding Amount As On 29-06-2019 Is Rs. 73,83,25,071.17/—रूपये (Rupees Seventy Three Crore Eighty Three Lakh Twenty Five Thousand Seventy One & Seventeen Paisa Only) With Future Interest And Incidental Charges w.e.f 01-06-2019, Less Credits, If Any तथा अप्रार्थी ऋणीयों/जमानतदारो द्वारा ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर

जिला मजिस्ट्रेट
अलवर (राज०)

अप्रार्थीगण द्वारा स्वंय की सम्पत्ति ***"Factory Land & Building Situated AT Plot No. 195, Matsya Industrial Area Alwar Measuring Area 15390 Sq. Mts. In The Name Of M/s Haryana Oils & Soya Ltd. Vide Conveyance Deed No. 2006007375 Dated 14-11-2006 Registered AT Sub Registrar, Alwar (Rajasthan)"*** को रहन रखा गया था। अप्रार्थी ने तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 05.07.2019 नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थीगण के द्वारा ऋण राशि की अदायगी नही की गई। प्रार्थी ने उपरोक्त ***" Factory Land & Building Situated AT Plot No. 195, Matsya Industrial Area Alwar Measuring Area 15390 Sq. Mts. In The Name Of M/s Haryana Oils & Soya Ltd. Vide Conveyance Deed No. 2006007375 Dated 14-11-2006 Registered AT Sub Registrar, Alwar (Rajasthan)"*** को दिनांक 30.06.2019 को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया गया है जिसका कब्जा लेने का अधिकार बैंक को है।

प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी बैंक ने नियमानुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नही है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेकर प्रार्थी बैंक को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तो पर दिये जाते है:-

1- रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत कोई आक्षेप प्राप्त होता है, तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करावें।

2- आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र एवं पेश दस्तावेजात के आधार पर दिये जा रहे है, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधानों की पालना नहीं की गई है, तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय प्रति तहसीलदार अलवर, जिला अलवर को भिजवाई जाकर निर्देशित किया जाता है, कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा-31 के प्रावधानो की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावें। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक अलवर को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय की प्रति भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 21.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अलवर (राज०)

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट, अलवर